हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

की

इक्यावनवीं बोर्ड बैठक

का

कार्यवृत्त

स्थानः– सभागार, कार्यालय आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ

दिनांकः 17 फरवरी 2016

समय– 03:00 बजे अपराह्न

सुनियोजित विकास "आपकी आशा – हमारा ध्येय"

हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की इक्यावनवीं बोर्ड बैठक दिनांक 17/02/2016 का कार्यवृत्तः

दिनांक 17/02/2016 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सभागार, कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ में प्राधिकरण बोर्ड की इक्यावनवीं बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1	श्री आलोक सिन्हा	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2	श्री अनिल ढींगरा	जिलाधिकारी, हापुड़	सदस्य
3	श्री आर0 के0 सिंह	उपाध्यक्ष, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड	उपाध्यक्ष
4	श्री अतुल कुमार सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ	सदस्य
5	श्री कन्हाई सिंह	प्रशासक, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा	सदस्य
6	श्री के. पी. सिंह	अधीक्षण अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम, मेरठ	सदस्य
7	श्री डी.सी. गुप्ता	वरिष्ठ नियोजक (4), मुख्यालय, लखनऊ (प्रतिनिधिः मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ)	सदस्य
8	श्री ए. के. शर्मा	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हापुड़ (प्रतिनिधिः अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हापुड)	सदस्य
9	श्री मनोज कुमार	सहायक वास्तुविद नियोजक, एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद	सदस्य
10	श्री एस. के. मिश्रा	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हापुड़	सदस्य
11	श्री मुकेश जैन	मनोनीत सदस्य	सदस्य
12	श्री संजय यादव	मनोनीत सदस्य	सदस्य
13	श्री मौहम्मद इमरान	मनोनीत सदस्य	सदस्य

उपाध्यक्ष

(आर0 के0 सिंह)
उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

अध्यक्ष

आलोक सिन्हा
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

बैठक में बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

मद सं.	विषय	निर्णय
1	प्राधिकरण की पचासवीं बोर्ड बैठक दिनांक 29/09/2015 की कार्यवाही के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पचासवीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2	प्राधिकरण की पचासवीं बोर्ड बैठक दिनांक 29/09/2015 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।	पचासवीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयीं तथा पचासवीं बोर्ड बैठक के मद सं0 16 पर निम्नानुसार निर्णय लेते हुए अन्य बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया– **पचासवीं बोर्ड बैठक–** **मद सं0 16–** हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनन्द विहार आवासीय योजना हेतु राजस्व ग्राम अच्छेजा, परगना, तहसील व जिला–हापुड़ के खसरा सं0 458 क्षेत्रफल 2045 वर्ग मी0 भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा गठित समिति के सदस्यों में मत–भिन्नता होने के फलस्वरूप प्रकरण विधिक राय हेतु महाधिवक्ता को सन्दर्भित किया गया है। प्रकरण पर महाधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त होने के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
3	प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के नीलामी के माध्यम से विक्रय हेतु भुगतान पद्धति में शिथिलता के संबंध में।	गहन विचार विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शेष 75 प्रतिशत धनराशि के भुगतान की पद्धति में और अधिक शिथिलता प्रदान की जाये तथा भुगतान हेतु 08 छमाही किश्तों के आधार पर 04 वर्ष का समय प्रदान किया जाये। यदि आवंटी 04 वर्ष से पूर्व कम्प्लीशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्री हेतु आवेदन करता है, तो अवशेष समस्त धनराशि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट/रजिस्ट्री से पूर्व जमा करनी होगी।

उपाध्यक्ष
(आर0 के0 सिंह)
उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

अध्यक्ष
आलोक सिन्हा
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

4	प्राधिकरण की योजनाओं में अनिस्तारित सम्पत्तियों का खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने हेतु न्यूनतम आरक्षित दरें/सेक्टर दर माह सितम्बर 2016 तक फ्रीज़ किये जाने के संबंध में।		बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
5	प्राधिकरण की आनन्द विहार योजना में समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवनों का आवंटन 'पहले आओ – पहले पाओ' के आधार पर किये जाने के संबंध में।		विचार–विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया– 1. आवंटन पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा एवं आवेदनों के पंजीकरण की तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। 2. आवंटन तत्काल आधार पर आवेदन के समय ही किया जायेगा। 3. आवंटित किये जाने वाले भवनों का मूल्य निर्धारण फ्लोरवाइज़ किया जायेगा।
6	सेवानिवृत्त मुख्य नगर नियोजक श्री त्रिभुवन सिंह की मानदेय के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।		बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
7	विधिक प्रकरणों में विधिक राय प्राप्त करने के लिए श्री राजेन्द्र त्यागी, विधि सहायक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सेवाएं दोहरे कार्य भत्ते पर लिए जाने के संबंध में।		विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा रू0 5000/– (पांच हजार मात्र) प्रति माह के दोहरे कार्य भत्ते पर रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
8	प्राधिकरण की आनन्द विहार योजना में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 जी0एच0–01 पर समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत 198 अफोर्डेबल भवनों के निर्माण हेतु सिण्डीकेट बैंक से ऋण लेने के संबंध में।		बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपाध्यक्ष
(आर0 पी0 सिंह)
उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

अध्यक्ष
आलोक सिन्हा,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

9	सबके लिये आवास योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण की प्रीत विहार आवासीय योजना–द्वितीय चरण में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 जी0एच0–02 एवं जी0एच0–03 पर 192 अल्प आय वर्ग भवनों एवं 192 दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण हेतु हुडको/अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेने के संबंध में।	बोर्ड द्वारा हुडको या अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
10	धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु "आदर्श भवन उपविधि" को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किये जाने के संबंध में।	धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु "आदर्श भवन उपविधि" को अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
11	हापुड़–पिलखुवा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मुकीमपुर, तहसील मोदीनगर में प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग व लैण्डफिल साईट के चारो ओर "बफर जोन ऑफ नो डेवलेपमेन्ट" घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
12	हापुड़ पिलखुवा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खैरपुर–खैराबाद, परगना डासना, तहसील–धौलाना, जनपद–हापुड़ के खसरा सं0 20, 22, 23 व 24 रकबा 49274 वर्ग मीटर (4.9274 है0) भूमि पर गोपालजी डेयरी फूड्स प्रा0 लि0 औद्योगिक इकाई हेतु भू–उपयोग 'कृषि' से 'औद्योगिक' में परिवर्तित करने के सम्बंध में।	प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा 'कृषि' भू–उपयोग के अन्तर्गत स्वीकृत मानचित्र में अनुमन्य शमनीय सीमा से अधिक भू–आच्छादन कर लिया गया है। उ0 प्र0 शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 4824/8–3–09–09विविध/09 दिनांक 14/01/2010 द्वारा विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 2009 जारी की गयी है, जिसकी धारा 3.2.2 के अनुसार महायोजना या जोनल डवलपमेंट प्लान या ले–आउट प्लान या लीज़ में निर्धारित

(आर0 [signature])
उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

[signature]
अध्यक्ष
आलोक सिन्हा
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

		भू–उपयोग के विपरीत किया गया निर्माण शमनीय नहीं होगा। इस प्रकार वर्तमान भवन उपविधि, 2009 के अनुसार प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण को शमन करने का अधिकार प्राधिकरण/बोर्ड को नहीं है। बोर्ड द्वारा प्रकरण के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल पर स्थित दुग्ध विकास योजना के लिये आस–पास के क्षेत्रों/ग्रामों से दुग्ध की आपूर्ति होगी तथा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ आधार मिलेगा। प्रकरण में शमन का अधिकार प्राधिकरण/बोर्ड को न होने के कारण जनहित में यह प्रस्ताव शासन को निर्णय हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
13	हापुड़ महायोजना–2005 के अन्तर्गत ग्राम अच्छेजा के खसरा सं0 718 क्षेत्रफल 13936.00 वर्ग मी0 भूमि के कृषि भू–उपयोग से प्रभावित क्षेत्र में महाविद्यालय/अन्य शिक्षण संस्था की अनुमति के संबंध में।	बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
14	हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत मैडिकल कॉलेज, चिकित्सालय एवं नर्सिंग आदि शिक्षण सस्थानों की स्थापना हेतु रामा एजुकेशन सोसायटी द्वारा कय की गई भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन कराने के सम्बंध में।	प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपाध्यक्ष
(आर0 के0 सिंह)
उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

अध्यक्ष
[illegible]
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

15	प्राधिकरण द्वारा टैक्सटाईल सेन्टर योजना में निर्मित सी.ई.टी.पी. (कॉमन एफ्ल्यूऐन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) को कार्यशील बनाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि इस ट्रीटमेंट प्लान्ट को तत्समय संचालित करने पर अब तक विद्युत व्यय भार के अतिरिक्त लगभग रू0 255 लाख का वित्तीय भार प्राधिकरण को वहन करना पड़ता। वर्तमान प्रस्ताव से प्राधिकरण को कोई वित्तीय हानि नहीं हो रही है। अतः प्राधिकरण के आर्थिक हित को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
16	वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित तथा 2016–17 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(आर0 के0 सिंह)
उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

(आर0 के0 सिंह)
उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

(आलोक सिन्हा)
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ /
अध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

आयुक्त/अध्यक्ष
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़